पत्रांक–2ब०/जला०–01–13/2017 801 /न०वि०एवंआ०वि०

*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

चैतन्य प्रसाद,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, पटना।

पटना, दिनांक– 9/2/18

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2017–18 में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत पटना नगर निगम के 72 वार्डो में 42506 घरों में नल का जल कनेक्शन हेतु ₹946.19586 लाख (नौ करोड़ छियालीस लाख उन्नीस हजार पाँच सौ छियासी रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना के पत्रांक– 1141, दिनांक– 12.12.2017 एवं पत्रांक– 458, दिनांक– 15.01.2018 द्वारा पटना नगर निगम के 72 वार्डो में कुल 72 योजनाओं के अन्तर्गत कुल 42506 घरों में नल का जल कनेक्शन हेतु ₹946.19586 लाख (नौ करोड़ छियालीस लाख उन्नीस हजार पाँच सौ छियासी रु०) मात्र का तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है।

2. नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत बुडको द्वारा समेकित DPR तैयार कराया जा रहा है। नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना के पत्रांक– 458, दिनांक– 15.01.2018 में उल्लेख है कि प्रसंगाधीन प्राक्कलन existing Pipeline (जो ठीक एवं चालू अवस्था में है) से House Connection देने हेतु तैयार किया गया है। Buidco का DPR वैसे क्षेत्र के लिए है, जहाँ पाईप लाईन बिछा ही नहीं है। अतः Buidco द्वारा प्रस्तावित नए C.I पाईप लाईन से Integration की समस्या नहीं होगी।

3. नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना के उक्त पत्र के आलोक में योजना की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती है :–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	वार्ड सं०	House Hold की संख्या, जिन्हें House Connection दिया जाना है।	तकनीकी अनुमोदन/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	2	3	4	5	6
1	नगर निगम, पटना	पटना नगर निगम के वार्ड सं०– 01 से 72 में कुल 72 योजनाओं के अन्तर्गत कुल 42506 घरों में नल–जल कनेक्शन (House Connection) कार्य।	1	2454	41.62044
2			2	4342	70.47154
3			3	1806	31.71816
4			4	487	11.56213
5			5	930	18.33174

6			6	164	6.62627
7			7	18	4.39520
8			8	180	6.87077
9			9	1437	26.07936
10			10	1075	20.54753
11			11	1645	29.25787
12			12	176	6.80904
13			13	802	16.37574
14			14	852	17.13980
15			15	416	10.47715
16			16	1557	27.91312
17			17	216	7.42089
18			18	23	4.47160
19			19	136	6.19839
20			20	79	5.32736
21			21	2481	42.03304
22			22	1022	19.73762
23			23	307	8.81149
24			24	435	10.76750
25			25	416	10.47715
26			26	73	5.23567
27			27	161	6.58042
28			28	251	7.95574
29			29	459	11.13425
30			30	2526	42.72070
31			31	524	12.12753
32			32	224	7.54314
33			33	980	19.09581
34			34	1337	24.55123
35			35	379	9.91175
36			36	1117	21.18934
37			37	291	8.56699
38			38	293	8.59755
39			39	196	7.11527
40			40	79	5.32736
41			41	39	4.71610
42			42	78	5.31207
43			43	69	5.17454
44			44	968	18.91243

45			45	866	17.35374
46			46	764	15.79505
47			47	393	10.12568
48			48	279	8.38362
49			49	38	4.70082
50			50	163	6.61098
51			51	233	7.68068
52			52	139	6.24423
53			53	71	5.20510
54			54	129	6.09142
55			55	1167	21.95341
56			56	620	13.59454
57			57	55	4.96060
58			58	25	4.50216
59			59	239	7.77236
60			60	70	5.18982
61			61	63	5.08285
62			62	62	5.06757
63			63	250	7.94046
64			64	301	8.71980
65			65	583	13.02913
66			66	384	9.98815
67			67	409	10.37018
68			68	56	4.97589
69			69	261	8.10855
70			70	505	11.83719
71			71	199	7.16111
72			72	682	14.54198
कुल योग				**42506**	**946.19586**

4. **योजना का कार्यान्वयन निम्नांकित शर्तो के अधीन किया जायेगा :–**

(i) योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा तैयार किये गये एवं अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित मॉडल प्राक्कलन के आधार पर किया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन हेतु संशोधित मार्गदर्शिका भी निर्गत किया जा चुका है। उक्त प्राक्कलन एवं संशोधित मार्गदर्शिका विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है, जिसकी सूचना विभागीय पत्रांक– 123, दिनांक– 11.01.2017 द्वारा सभी नगर निकायों एवं जिला शहरी

विकास अभिकरणों को दिया जा चुका है। नगर निकाय द्वारा योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। योजना के संधारण के लिए अलग से दिशा–निर्देश निर्गत किया जायेगा।

(ii) चूँकि वार्ड नं०– 02 में प्राक्कलित राशि ₹70.47154 लाख है अतः इस योजना का तकनीकी अनुमोदन मुख्य नगर अभियंता, पटना नगर निगम से प्राप्त कर कार्यान्वयन कराया जाएगा।

(iii) नगर निकाय द्वारा प्रत्येक House Hold Connection देने के क्रम में मकान मालिक का नाम, पता, आधार नम्बर, मोबाईल नं० एवं तस्वीर अपने अभिलेख में रखने के अतिरिक्त उनसे एक प्रमाण पत्र भी लेना सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके घर में नल का जल उपलब्ध हो गया है। नल जल कनेक्शन से संबंधित सारी जानकारी विभाग द्वारा विकसित MIS पर Upload किया जायेगा।

(iv) **योजना का कार्यान्वयन ई–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।**

(v) क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा।

(vi) राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवदेन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(vii) उक्त योजना इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि जलापूर्ति योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही/की गई योजना से किसी भी परिस्थिति में न हो।

(viii) उक्त प्रत्येक वार्ड की योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

5. **मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना से संबंधित संकल्प सं०– 1287, दिनांक– 25.02.2016 की कंडिका– 05(i) के अनुरूप 14वें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग मद की कर्णांकित 30 प्रतिशत राशि, जो पटना नगर निगम के पास उपलब्ध है, में से उक्त योजना का कार्यान्वयन कराया जाएगा।**

6. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

7. विभागीय संकल्प संख्या–1287, दिनांक– 25.02.2016 के कंडिका– 06 के अनुरूप अनुश्रवण की व्यवस्था एवं कंडिका– 07 के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था की जायेगी।

8. योजना का कार्यान्वयन विभागीय संकल्प संख्या– 1287, दिनांक– 25.02.2016 तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरूद्ध किया जायेगा, जिसके निमित राशि स्वीकृत की गई है।

9. इसकी सूचना प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजिन,

8/2/2018

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/जला०–01–13/2017 801 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 9/2/18

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पषर्द, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–2, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को वेवासाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/2/2018

सरकार के प्रधान सचिव।